राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– जी.पी.एफ. एवं पेंशन/2025–26/44 दिनांक :–04/04/2025

–:: कार्यालय आदेश ::–

राजस्थान आवासन मण्डल मे नियुक्त प्रोबेशनर–ट्रेनी के रूप मे नियुक्त कार्मिकों के लिए सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिदान की नियम पारिश्रमिक के लिए वित्त विभाग (नियम अनुभाग), राजस्थान सरकार के कार्यालय आदेश क्रमांक प.2(2)वित्त(नियम)/2021 पार्ट दिनांक 26.05.2022 के अनुरूप निम्नानुसार मासिक कटौति की जानी है :–

क्र.सं.	पे–मेट्रिक्स में पे–लेवल	GPF अभिदान की राशि (रूपये)
1	L-1 से L-7 तक	700
2	L-8 से L-9 तक	800
3	L-10 से L-11 तक	1100
4	L-12 से L-14 तक	1400
5	L-15	1800
6	L-16 से L-17 तक	2100
7	L-18 से L-19 तक	2400
8	L-20 से L-21 तक	3000
9	L-22 से L-23 तक	4500
10	L-24	5000

उक्त आदेश प्रोबेशनर–ट्रेनी के रूप मे नियुक्त हुए कार्मिक की नियुक्ति तिथि से प्रभावी होंगे।

प्रोबेशनर–ट्रेनी के रूप मे नियुक्त कार्मिकों के नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने पर जी.पी.एफ. अभिदान की राशि की कटौती पुरानी पेंशन के कार्मिकों के लिए निर्धारित जी.पी.एफ. अभिदान के नियमानुसार की जायेगी।

उक्त को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

वित्तीय सलाहकार

Signature valid
Digitally signed by Rohtash Singh Yadav
Designation : Financial Advisor
Date: 2025.04.04 13:46:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14601167

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव–सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, वृत्त ....., राजस्थान आवासन मण्डल, ...
5. लेखाधिकारी (भुगतान), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ....., राजस्थान आवासन मण्डल, ...
7. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय ..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन)

Signature valid

Digitally signed by Rohtash Singh Yadav
Designation : Financial Advisor
Date: 2025.04.04 13:46:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14601167

Scanned with CamScanner